बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या : NHM/BHDS/660/2018 1657 , पटना, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018

प्रेषक,

रवीन्द्रनाथ राय,
सरकार के विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।**(+)

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **राज्य योजना अन्तर्गत सुक्ष्म सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सामूहिक नलकुप योजना वर्ष 2018–19 में 965.099 लाख रूपये(नौ करोड़ पैंसठ लाख नौ हजार नौ सौ रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

महाशय,

राज्य योजना अन्तर्गत सुक्ष्म सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सामूहिक नलकुप योजना वर्ष 2018–19 में 965.099 लाख रूपये(नौ करोड़ पैंसठ लाख नौ हजार नौ सौ रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	कोषागार से निकासी योग्य स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष – 2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 119 – बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग सं०– 01, उप शीर्ष 0101 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड – 01-2401001190101, विषय शीर्ष –0101.31.06 सहायक अनुदान –गैर वेतन	13706.770	801.032
मुख्य शीर्ष – 2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789 – अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०– 01, उप शीर्ष 0130 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड – 01-2401007890130, विंषय शीर्ष – 0130.31.06 सहायक अनुदान –गैर वेतन	2642.260	154.416
मुख्य शीर्ष – "2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 796 – जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०– 01, उप शीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड – 01-2401007960152, विषय शीर्ष – 0152.31.06 सहायक अनुदान –गैर वेतन	165.150	9.651
योग	**16514.180**	**965.099**

3. केन्द्र प्रायोजित सुक्ष्म सिंचाई अन्तर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को ड्रीप सिंचाई पद्दति अधिष्ठापन हेतु जल श्रोत के रूप में सामूहिक नलकुप इस योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

4. योजना का कार्यान्वयन केवल लघु एवं सीमांत कृषकों के उन्हीं कलस्टर पर किया जायेगा जिसमें (क) कलस्टर के सभी किसान ड्रीप सिंचाई पद्दति के अधिष्ठापन हेतु तैयार हों। (ख) चयनित कलस्टर में पुर्व से पर्याप्त जल श्रोत नहीं हो। (ग) इस पद्दति अन्तर्गत कलस्टर के सभी किसानों के अंश की राशि संबंधित कंपनी के पास जमा कर दिया गया हो।

5. योजना के कार्यान्वयन हेतु एक कलस्टर का रकवा कम से कम 5 हे० का होगा। प्रस्तावित योजना का कार्य योजना अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।

सुनील कुमार पंकज (नन्द किशोर)

6. ड्रीप सिंचाई पद्दति के अधिष्ठापन हेतु अनुदान की राशि PMKSY(MI) अन्तर्गत किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक स्थल पर किया जायेगा। सार्वजनिक स्थल के अभाव में कलस्टर के लाभान्वित किसान विहित प्रपत्र में प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के समक्ष शपथ देंगे कि जमीन का उपयोग ट्युबवेल हेतु सार्वजनिक इस शर्त के साथ होगा कि जब तक ट्युबवेल कार्यरत रहेगा (न्युनत्तम अवधि 7 वर्ष) तब तक उक्त जमीन पर अधिष्ठापित नलकुप का व्यवहार सभी किसान करेंगे तथा जमीन का स्थानान्तरण अथवा बिक्री मान्य नहीं होगा। ट्युबवेल अकार्यरत रहने के उपरांत जमीन का मालिकाना हक (न्युनत्तम अवधि 7 वर्ष के बाद) स्वतः किसान के पास वापस हो जायेगा।

8. इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक 2 के रूप में प्राक्कलन का शत्–प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में देय होगा।

9. योजना अन्तर्गत गठित समुह अपने सदस्यों के बीच से एक अध्यक्ष का चुनाव करेगा। योजना का कार्यान्वयन अगर समुह स्वयं शत्–प्रतिशत राशि व्ययकर स्वयं करना चाहेगी तो अनुदान का भुगतान समुह के अध्यक्ष के माध्यम से समुह के बैंक खाता में DBT के माध्यम से किया जायेगा। अगर समुह नलकुप अधिष्ठापन हेतु होने वाले सम्पुर्ण व्यय का वहन करने में सक्षम नहीं होगा तो उस स्थिति में समुह द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जायेगा कि अनुदान की राशि सिंचाई यंत्र अधिष्ठापित करने वाली कंपनी को भुगतान किया जाय। इस स्थिति में संबंधित कंपनी द्वारा नलकुप का अधिष्ठापन कराया जायेगा तथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुदान की राशि उन्हें भुगतान की जायेगी।

10. इस योजना अन्तर्गत अधिष्ठापित होने वाली नलकुप की गहराई 208 फीट आंका गया है, जिसके आधार पर प्राक्कलन तैयार किया गया है। अधिक गहराई की स्थिति में प्राक्कलन अन्तर्गत कुल प्रावधानित राशि के अन्तर्गत कार्य कराया जायेगा। इस स्थिति में नलकुप हेतु 10 फीट x10 फीट x8 फीट आकार का निर्मित होने वाले पम्प हाउस में समुह को शेष अपनी राशि लगाकर पम्प हाउस तैयार करवाना होगा।

11. इस योजना अन्तर्गत अधिष्ठापन होने वाले बोरवेल हेतु विद्युत संबंधन का प्रबंध गठित समुह को करना होगा।

12. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि निदेशक उद्यान द्वारा अग्रिम के रूप में BTC-46 पर कोषागार से निकासी की जायेगी तथा निकासी की गयी राशि पी०एल० खाता संख्या – 291 में जमा किया जायेगा एवं आवश्यकता अनुसार पी०एल० खाता से राशि निकासी कर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को उपलब्ध कराया जायेगा एवं व्यय किया जायेगा।

13. योजना अन्तर्गत स्वीकृत कुल राशि का 16 प्रतिशत अनु०जा० एवं 1 प्रतिशत अनु०जनजा० पर व्यय किया जाना है।

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन दिनांक–11.12.2018 को पृष्ट संख्या – 24/टि0 पर प्राप्त है।

15. योजना का स्थाई वित्त समिति से दिनांक 08.10.2018 को संचिका संख्या NHM/BHDS/660/2018 के पृष्ट संख्या – 40/प० पर प्राप्त है।

16. स्वीकृत राशि अग्रिम के रूप में कोषागार से निकासी हेतु प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि०(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

18. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या – NHM/BHDS/660/2018 के पृष्ट संख्या –20/टि0 पर दिनांक – 20.12.2018 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या 248 दिनांक– 19.12.2018 है।

विश्वासभाजन
Rabindra 21.12.18
(रवीन्द्रनाथ राय)
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/660/2018 1657 /NHM, पटना, दिनांक 24 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 21.12.18
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/660/2018 1657 /NHM, पटना, दिनांक 24 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 21.12.18
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/660/2018 1657 /NHM, पटना, दिनांक 24 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2018

प्रतिलिपि : निदेशक पी०पी०एम०/जिला कृषि पदाधिकारी, (सभी)/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान/सभी सहायक निदेशक उद्यान/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 21.12.18
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/660/2018 1657 /NHM, पटना, दिनांक 24 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2018

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Rabindra 21.12.18
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/660/2018 1657 /NHM, पटना, दिनांक 24 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2018

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य) सूचना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rabindra 21.12.18
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

किशोर)

(49)

अनुलग्नक – 1

सुक्ष्म सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सामुहिक नलकुप योजना वर्ष 2018–19 का कार्य योजना।

क्र० सं०	अवयव का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)
1	सामुहिक नलकुप अधिष्ठापन	400	955.544
2	अकास्मिकता@1%	–	9.555
योग :–		**400**	**965.099**

सुनिल कुमार पंकज
संयुक्त निदेशक उद्यान
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना

(नन्द किशोर)